



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, अवध विहार वृत्त

भू-तल हाल सं0-1, आफिस काम्पलेक्स,
सेक्टर-9, वृन्दावन योजना, लखनऊ।
E-mail-circleavadhvihar@upavp.com



पत्र सं0

/ Y-12 /

दिनांक

अल्पकालीन ई-निविदा सूचना

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा परिषद की ओर से उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद में सक्षम स्तर से निर्धारित श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मों से दिनांक 30.08.2024 के अपरान्ह 03.00 बजे तक ई-टेंडर पद्धति पर राज्य सूचना केन्द्र (एन0आई0सी0) की वेबसाइट <https://etender.up.nic.in> के माध्यम से टू-बिड पद्धति/एकल बिड पद्धति पर आमंत्रित की जाती है, जिसकी तकनीकी बिड/निविदा प्रपत्र उपस्थित निविदा-दाताओं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष उसी दिन अपरान्ह 03.30 बजे खोली जायेगी। आमंत्रित निविदा की तकनीकी/वित्तीय बिड का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (रू0 लाख में)	धरोहर धनराशि (लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य+जी0 एस0 टी0	कार्य पूर्ण करने की अवधि	आर0टी0जी0एस0 हेतु खाते का विवरण
1	2	4	5	6	7	9
1	नई जेल रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना (पूरक योजना सहित) मोहनलालगंज, लखनऊ में सामान्य मिट्टी का कार्य।	324.37	6.50	6000.00+18 % GST कुल धनराशि 7080.00	06 माह टू- बिड पद्धति	Name of A/C Holder Executive Engineer Construction Division Lucknow-08, UPVP, Anchor shop-1, 2 & 3, Awadhshilp Gram, Awadh Vihar Yojna, Lucknow
2	अवध विहार योजना, लखनऊ के सेक्टर-07डी में स्थित सरयू इन्क्लेव के सामुदायिक केन्द्र में सामुदायिक सुविधाओं (ए.सी.) का कार्य।	8.44	0.17	1500.00+18 % GST कुल धनराशि 1770.00	01 माह एकल- बिड पद्धति	Account Detail Bank of Baroda, R.S.M. Nagar, Branch, Lucknow Account No. 77290100016067 IFS Code No. BARB0VJRSMN
3	प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु पहुँच मार्ग 18.00मी0 चौड़ी सडक के निर्माण (बिटुमिनस) कार्य।	36.50	0.73	1500.00+18 % GST कुल धनराशि 1770.00	03 माह एकल बिड पद्धति	Name of A/C Holder Executive Engineer Construction Division Lucknow-09, U.P.Housing & Development Board, Office complex, Vrindavan Yojna, Lucknow Account Detail Bank of India, Indira Nagar, Lucknow. Account No. 685210110002201 IFSC Code. BKID0006852

- अ- निविदा प्रपत्र की लागत तथा धरोहर धनराशि के मूल्य से सम्बन्धित आर की छायाप्रति 0आर0टी0के यू 0एस0जी0टी0निविदा प्रपत्र के साथ अपलोड किया जाना होगा।
- ब- निविदा प्रपत्र परिषद की वेबसाइट <https://upavp.in> के निविदा लिंक पर तथा उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> परदेखे जा सकते है। इच्छुक ठेकेदार नियमित रूप से उक्त वेबसाइट पर देखते रहें, क्योंकि निविदाओं के सम्बन्ध में कोई बदलाव अथवा सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध करायी जायेगी। डिजिटल सिग्नेचर धारक ठेकेदार/फर्मों द्वारा ही आनलाइन निविदा डाली जा सकती है।

निविदा से सम्बन्धित विवरण

1	ई-निविदा आमन्त्रण सूचना प्रकाशन की तिथि	दिनांक 30.07.2024	नोट:- निविदा से संबंधित प्रपत्र का मूल्य व धरोहर धनराशि अलग अलग- RTGS/NFET के माध्यम से उपरोक्त बैंक विवरण के अनुसार निविदा खुलने की तिथि से एक दिन पूर्व तक खण्ड कार्यालय के खाते में जमा किया जाना होगा। धनराशि खाते में जमा होने की पुष्टि के उपरान्त ही निविदा पर विचार किया जायेगा।
2	निविदा/प्रपत्र अपलोड करने की तिथि एवं समय	दिनांक 02.08.2027 को अपरान्ह 03.00 बजे तक	
3	निविदा/प्रपत्र डाउनलोड करने की तिथि एवं समय	दिनांक 02.08.2024 को अपरान्ह 03.30 बजे से दिनांक 30.08.2024 अपरान्ह 02.00 बजे तक	
4	बिड अपलोड करने की तिथि एवं समय	दिनांक 02.08.2024 को अपरान्ह 03.30 बजे से दिनांक 30.08.2024 अपरान्ह 03.00 बजे तक	
5	टू-बिड पद्धति की तकनीकी बिड एवं एकल बिड पद्धति के निविदा प्रपत्र/वित्तीय बिड खोलने का स्थान, तिथि एवं समय	क्रमांक -01 एवं 02 हेतु कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड लखनऊ-08, उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद, एंकर शांप नं0 1, 2 व 3 अवध शिल्पग्राम, अवध विहार योजना, लखनऊ। सभी निविदायें दिनांक 30.08.2024 को अपरान्ह 03.30 बजे। क्रमांक -03 हेतु कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड लखनऊ-09, उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद, वृन्दावन योजना, लखनऊ। सभी निविदायें दिनांक 30.08.2024 को अपरान्ह 03.30 बजे।	
6	वित्तीय बिड खोलने की तिथि समय व स्थान	तकनीकी बिड परीक्षणोंपरान्त http://etender.up.nic.in पर सूचित की जायेगी।	

सामान्य शर्तें:-

1. निविदादाता/फर्म की निविदा स्वीकृत होने की दशा में शासन के निर्देशों के अनुसार रायल्टी की रसीद/साक्ष्य प्रस्तुत करने पर ही बिल का भुगतान अनुमन्य होगा अन्यथा नियमानुसार बिल से कटौती की जायेगी।
2. उ0प्र0भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियम नियमावली वर्ष-2009 के विनियम-24(2) के अन्तर्गत प्रत्येक संविदा का एकल पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। अतः निविदा स्वीकृत एवं अनुबन्ध गठन के बाद एक सप्ताह के अन्दर पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही देयक का भुगतान किया जायेगा।
3. निविदाओं की बी0ओ0क्यू0 में अंकित कार्यों की मात्रा में परिवर्तन हो सकता है, जिसके लिये ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य न होगा। निविदा डालने से पूर्व ठेकेदारों/फर्मों से अपेक्षा की जाती है कि वे स्थल निरीक्षण कर लें क्योंकि बाद में स्थल से सम्बन्धित कोई क्लेम मान्य न होगा।
4. निविदा की स्वीकृति की दशा में अनुबन्ध हेतु शासन द्वारा निर्धारित मानक व निविदा की लागत के अनुसार आवश्यक धनराशि के स्टैम्प अनुबन्ध हेतु प्रस्तुत करने होंगे। उक्त हेतु अनुबन्ध गठन के समय रू0 100.00 के नान जूडिशियल स्टैम्प पेपर पर शपथ-पत्र देना होगा।
5. निविदादाताओं/फर्म को निविदा स्वीकृति की दशा में कार्य की कुल लागत की 10 प्रतिशत जमानत धनराशि परिषद के नवीनतम कार्यालय आदेश के अनुरूप किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 के रूप में अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड लखनऊ-08, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ के पक्ष में बंधक हो, जमा करनी होगी।
6. अनुबन्ध गठन की प्रक्रिया या उसके उपरान्त यदि यह संज्ञान आता है कि सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, तो उसके साथ किया गया अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा एवं दण्ड के रूप में उसकी धरोहर धनराशि जब्त करते हुए उसका नाम काली सूची में डाला जायेगा।
7. निविदादाता/फर्म द्वारा दिये गये दस्तावेजों/प्रमाण-पत्रों के गलत पाये जाने पर निविदादाता को अयोग्य समझा जायेगा एवं विचार नहीं किया जायेगा। यदि फर्जी/गलत दस्तावेजों की जानकारी अनुबन्ध गठन के बाद होती है, तो अनुबन्ध उसी समय निरस्त करते हुए दण्ड के रूप में धरोहर धनराशि जब्त करते हुए काली सूची में डाला जायेगा।
8. अ. निविदादाता/फर्म को जी0एस0टी0 में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा।
ब. निविदादाता के सभी देयकों से कार्य की लागत पर देय आयकर की कटौती नियमानुसार की जायेगी।
स. कार्य की लागत में जी0एस0टी0 को छोड़कर समस्त कर सम्मिलित है। तद्समय देय जी0एस0टी0 का भुगतान नियमानुसार कार्य की लागत पर देयता के अनुसार किया जायेगा।
9. यदि किसी कारणवश निविदा सूचना में उल्लिखित तिथि को अवकाश हो जाता है, तो निविदा अगले कार्य दिवस को खोली जायेगी।
10. शासनादेश के अनुसार डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि तीन वर्ष होगी इस हेतु कुल कार्य लागत का 1% जमानत धनराशि तत्पश्चात ही अवमुक्त की जायेगी।

11. समस्त कार्य उ०प्र०लोक निर्माण विभाग/ उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद/उ०प्र० जल निगम/ MORT&H की नवीनतम विशिष्टियों के अनुसार कारयें जायेंगे।
12. जी०पी०डब्ल्यू०-९ फार्म अनुबन्ध का हिस्सा होगा।
13. कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा। कार्य की प्रगति निर्धारित "बार चार्ट" के अनुसार होनी चाहिए।
14. परिषद में पंजीकृत ठेकेदार/फर्म द्वारा स्थाई धरोहर धनराशि (जनरल सिक्योरिटी) एवं कुल धरोहर धनराशि के अन्तर की धनराशि निविदा के साथ उपयुक्त रूप में जमा करनी होगी, अन्य शासकीय विभागों में सक्षम स्तर से निर्धारित श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मों को वाँछित धरोहर धनराशि खाता में जमा होने की पुष्टि होने के उपरान्त ही निविदा पर विचार विमर्श किया जायेगा।
15. सक्षम अधिकारी को कोई भी अथवा समस्त निविदायें बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है, जिसके सम्बन्ध में कोई भी क्लेम मान्य न होगा।
16. निविदा की दर कम या अधिक (Below or Above) अंकित न होने पर कम (Below) माना जाएगा।
17. शासनादेश सं०-622/23-12-2012-2 आडिट/०८टी०सी०-२/दिनांक ०८.०६.२०१२ के अनुसार बी०ओ०क्यू० से Below देने पर ठेकेदार द्वारा अतिरिक्त सिक्योरिटी/परफार्मेंस धनराशि निम्न विवरण के अनुसार देय होगी-
(क) १० प्रतिशत Below तक दर पर ०.५० प्रतिशत प्रति १.०० प्रतिशत कम Below दर पर।
(ख) १० प्रतिशत से अधिक Below तक दर पर १.०० प्रतिशत प्रति १.०० प्रतिशत कम Below दर पर।
18. निविदा प्रपत्र के साथ ही टी०-४, टी०-५ अर्थात् वैध चरित्र प्रमाण पत्र लोड करना अनिवार्य है।
19. कार्य स्थल पर मिट्टी भराई हेतु वाँछित साधारण मिट्टी के खनन एवं परिवहन हेतु अनुसचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग द्वारा निर्गत शासनादेश सं०-१५४/८६-२०२०-१५३(सा०)/२०१७ लखनऊ दिनांक १८.०९.२०२० में दिये गये दिशा-निर्देश एवं विभागीय पोर्टल Upminemitra.in के माध्यम से आवेदन कर अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य कराया जाना होगा।
20. क्रमांक-०१ पर अंकित कार्य हेतु विकास कार्य से सम्बन्धित कार्य का अनुभव रखना अनिवार्य है। क्र०-२ पर अंकित कार्य हेतु विद्युत लाइसेंस रखना अनिवार्य है।
21. कार्य हेतु फर्म द्वारा वर्तमान में किये जा रहे कार्यों की सूचना निर्धारित प्रारूप पर एफिडेविड के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा एवं तदनुसार ही लिक्विड एसेट की गणना प्रभावी मानी जायेगी।
22. फर्म को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित पत्रों का प्राप्त न होने का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
23. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
24. उ०प्र० शासन/जिला प्रशासन द्वारा निर्माण कार्य से सम्बन्धित कोविड-१९ के अन्तर्गत दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा।
25. फर्म के नाम एक जे०सी०बी० तथा एक डम्पर अथवा ट्रैक्टर मय ट्राली होना आवश्यक है, जिसका स्वामित्व प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
26. क्रम सं०-०३ पर अंकित कार्य में फर्म का इस आशय का अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करना होगा कि प्लान्ट द्वारा उच्च गुणवत्ता की सामग्री समयान्तर्गत उपलब्ध करायी जायेगी।

अधीक्षण अभियन्ता

पृ०सं० 2168 / अत / 97 तददिनांक 29.7.2024

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य अभियन्ता (म०), उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, १०४ महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।
2. अधीक्षण अभियन्ता-वृन्दावन वृत्त/लखनऊ वृत्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लखनऊ-१/२/४/५/६/७/८/९/१०/११/१२/१३, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
4. इंचार्ज, कम्प्यूटर सेल, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, १०४ महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ को परिषद की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. सहायक अभियन्ता(तक०), अवध विहार वृत्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
6. नोटिस बोर्ड।

अधीक्षण अभियन्ता